

एलाटमेंट/ विक्रय अनुबन्ध पत्र

कुल सौदा	—	/—
ब्याना	—	/—
म्याद	—	
मौजा	—	भोजला
ब्लाक का नाम	—	बड़ागौव
मोहल्ला	—	"द पीताम्बरा टाउन-2"
सम्पत्ति का प्रकार	—	आवासीय प्लॉट
मापन की इकाई	—	वर्गमीटर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	—	 वर्गमीटर
प्लॉट नं०	—	-----

चौहद्दी -

पूरब	—	
पश्चिम	—	
उत्तर	—	
दक्षिण	—	

प्रथम पक्ष की संख्या - एक

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष - "झॉसी होम्स एल०एल०पी" (PAN-AAPFJ-1808-E) पंजीकृत कार्यालय 1337, नई बस्ती शहर व जिला झांसी (उ०प्र०) द्वारा पार्टनर श्री हरजीत सिंह चावला पुत्र स्व० श्री सर्व सिंह चावला निवासी-95/18, सर्वनगर सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड सिविल लाईन, शहर व जिला झांसी (PAN-ADDPC-9742-R) (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० 8276 8866 6897 से की गई है मो०नं० 9415030764) (पेशा- व्यापार) (प्रथम पक्ष)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष - निवासी- शहर व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० से की गई है (PAN-.....) मो० पेशा-) (द्वितीय पक्ष)।

सम्पत्ति का विवरण :- राजस्व ग्राम भोजला तहसील व जिला झांसी में निर्मित कॉलोनी "द पीताम्बरा टाउन-2" में स्थित भूखण्ड सं०- पर निर्मित आवासीय प्लॉट जिसकी नापमीटर Xमीटर कुल नाप वर्गमीटर के वय करने का मुहायदा किया गया है। दस्तावेज हाजा के साथ प्लॉट मुवैया का नक्शा स्कैली संलग्न है जिसमें विक्रित प्लॉट वरंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है, विक्रित प्लॉट नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। यह कि "झॉसी होम्स एल०एल०पी" ने आराजी नं० 607 जरिये बैनामा दिनांक 06.06.2025ई० गुरुनानक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर श्रीमती डिम्पल चावला पत्नी श्री हरजीत सिंह चावला से खरीद की थी जिसकी रजिस्ट्री सब कार्यालय रजिस्ट्रार झांसी में वही संख्या I जिल्द सं० 11592 के पृष्ठ 201/218 पर क्रम संख्या 8471 दिनांक 06.06.2025ई० दर्ज है व "झॉसी होम्स एल०एल०पी" ने आराजी नं० 610 जरिये बैनामा दिनांक 15.03.2014ई० मिलन इन्फ्राटेक प्रा०लि० व चारधाम इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० से खरीद की थी जिसकी रजिस्ट्री सब कार्यालय रजिस्ट्रार झांसी में वही संख्या I जिल्द सं० 5669 के पृष्ठ 211/270 पर क्रम संख्या 1848 दिनांक 15.03.2014ई० दर्ज है व "झॉसी होम्स एल०एल०पी" ने आराजी नं० 609 जरिये बैनामा दिनांक 04.04.2014ई० मिलन इन्फ्राटेक प्रा०लि० व चारधाम इन्फ्रा डेवलपर्स

प्रा०लि० से खरीद की थी जिसकी रजिस्ट्री सब कार्यालय रजिस्ट्रार झाँसी में वही संख्या I जिल्द सं० 5694 के पृष्ठ 165/226 पर क्रम संख्या 2433 दिनांक 04.04.2014ई० दर्ज है व जरिये बटवारा नामा न्यायालय उप जिलाधिकारी, झाँसी वाद संख्या 302/2020(डी202006370002492) सिमरन एसोसिएट बनाम झाँसी होम्स सिटी प्रा०लि० दिनांक 06.09.2021 प्राप्त हुआ। विक्रित प्लॉट "द पीताम्बरा टाउन - 2" नामक कॉलोनी के अन्दर स्थित है उपरोक्त वर्णित भूमि पर भवन, प्लाट्स तथा टाउनशिप विकसित करने हेतु "झाँसी विकास प्राधिकरण" झाँसी द्वारा लेआउट प्लान दिनांक 18.10.2025 स्वीकृत कराया गया जिसका तलपट मानचित्र संख्या 03116/JDA/LD/25-26/0251/17092025 है।

कुल सौदा -/ -
 ब्याना -/ - पूर्व प्राप्त कर लिया व शेष
 मु०/ - रूपया वरवक्त बैनामा प्राप्त होगे।
 म्याद - (.....)

मैं कि विक्रेता उपरोक्त प्लॉट उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ, जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है, चूँकि मुझ विक्रेता उपरोक्त को रूपयों की जरूरत हैं। अतः मैं विक्रेता उपरोक्त प्लॉट उपरोक्त के वय करने का मुहायदा वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त निम्नलिखित शर्तों पर इस प्रकार करता हूँ :-

1. यह कि म्याद मुकर्रर के अन्दर जब भी क्रेता कहेगा, क्रेता के हक में विक्रय की पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के बाद बैनामा रजिस्ट्री कर दूंगा, कोई हीला-हवाला नहीं करूंगा।
2. यह कि मुझ विक्रेता ने ब्याने में/ - रूपया पूर्व प्राप्त कर लिया व शेष मु०/ - रूपया वरवक्त बैनामा प्राप्त होगे।
3. यह कि मौके पर कब्जा विक्रेता का है और विक्रेता का ही रहेगा।
4. यह कि विक्रेता भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु झाँसी विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत करायेंगा एवं क्रेता भविष्य में विक्रेता द्वारा निर्धारित डिजाइन के अनुसार ही एलिवेशन का निर्माण करेगा।
5. यह कि क्रेता भविष्य में कॉलोनी के नियम व शर्तों का पालन करेगा तथा कॉलोनी के रख-रखाव हेतु निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करेगा।
6. यह कि सर्विसेज का भुगतान सोसायटी के द्वारा जब भी मांगा जायेगा तो क्रेता द्वारा देय होगा।
7. यह कि रजिस्ट्री बैनामा का खर्च विक्रेता/क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
8. यह कि यदि मैं विक्रेता उपरोक्त शर्तों में कासिर रहूँ या हीला हवाला करूँ तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत जवरिया बैनामा रजिस्ट्री करा लेवें मुझे कोई उज्र व ऐतराज नहीं होगा, न मेरे वारिसान को कोई उज्र व ऐतराज होगा।

लिहाजा स्वेच्छा से यह एलाटमेंट/ विक्रय अनुबन्ध पत्र तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवे।

गवाह (1)- पुत्र निवासी-, शहर व जिला झाँसी
 की पहचान आधार कार्ड सं० से की गई है। मो०नं० (पेशा-)
 गवाह (2)- पुत्र निवासी-, शहर व जिला झाँसी
 की पहचान आधार कार्ड सं० से की गई है। मो०नं० (पेशा-)

दिनांक - 27-11-2025ई०

प्रारूपकर्ता - राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झाँसी

अनुज्ञप्ति सं० 1/2010-11 मो०नं० 9415401278

टाइपकर्ता - दीपक सिंह